

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(29)

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/छतरपुर/ भू.रा./18/ 2533 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-03-2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर का अपील प्रकरण क्रमांक 860 एवं 852/अ-6/2011-12

रामकली पत्नी रामअसारे राजौरिया
निवासी-ग्राम बरा(कीरतपुर)
उप तहसील महेवा, छतरपुर (म.प्र.)

-----आवेदिका

विरुद्ध

- 1- मुस. उर्मिला उर्फ वेलावाली बेबा रामऔतार गोस्वामी
- 2- मुस. रेखा देवी पुत्री रामऔतार गोस्वामी
- 3- हेमा देवी पुत्री रामऔतार गोस्वामी
- 4- दिलीप कुमार उर्फ बोरे तनय रामऔतार गोस्वामी
निवासीगण- टौरिया मोहल्ला वार्ड क्र. 6
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

-----अनावेदकगण

श्री सुनील सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12.9.2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-03-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बरा (कीरतपूरा) स्थित विवादित भूमि कुल कितना 09 कुल रकबा 3.259 हैक्टर राजस्व अभिलेख में अनावेदिका आदि, स्व. सीता गोस्वामी तनय धूराम तथा स्व. तनय धूराम राजौरिया के नाम 1/3, 1/3 हिस्से में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। स्व. हल्के गोस्वामी

(1)

1/3

hgr
12.9.18

अविवाहित थे तथा वह लावल्द फौत हो गये थे । आवेदिका रामकली ने वसियतनामा दिनांक 05-02-2007 के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु नायब तहसीलदार महेबा, जिला-छतरपुर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर अनावेदिका क्रमांक 1 उर्मिला देवी द्वारा नामांतरण में इस आशय की आपत्ति पेश की कि दिनांक 05-12-07 की रजिस्टर्ड वसीयत फर्जी है, मूल वसियतनामा 06-12-07 को निष्पादित किया गया है, जो अंतिम वसियतनामा है । नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर वसीयतकर्ता मृतक हल्के तनय धूराम के वारिसान रामाअसारे तनय धूराम, उर्मिला बेवा रामावतार, हेमा, रेखा दिलीप पुत्र/पुत्रीगण स्व. रामऔतार, शरन बाई व रामसिया पुत्रीगण धूराम के पक्ष पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 15-03-2010 को सभी वारिसों के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया । नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 15-03-2010 के विरुद्ध अनावेदिका उर्मिला देवी द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16-08-2011 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार महेबा के आदेश दिनांक 15-03-2010 में संशोधन कर दोनों बहनें शरन बाई व रामसिया पुत्रीगण धूराम के नाम कम करते हुये शेष वारिसों के नाम नामांतरण के आदेश दिये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 उर्मिला देवी द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष पेश की, जिसमें अपर आयुक्त सागर ने दिनांक 23-03-2018 से अनावेदिका क्रमांक 1 उर्मिला की वसीयत को सिद्ध पाते हुये नामांतरण के आदेश दिये तथा अपील स्वीकार की । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्षों के अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन किया गया ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियां कुल कितना 09 कुल रकबा 3.259 हैक्टर के सहखातेदार हल्के गोस्वामी थे। चूंकि हल्के गोस्वामी अविवाहित थे और लावल्द फौत हुये थे। हल्के गोस्वामी की मृत्यु के उपरांत वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार ने सभी वारिसों के नाम नामांतरण के आदेश दिये हैं। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदिका रामकली एवं अनावेदिका उर्मिला द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर बिना विचार एवं बिना परीक्षण किये वसीयत संदिग्ध मानने में त्रुटि की है। यदि नायब तहसीलदार के समक्ष वसीयत प्रस्तुत की गई थी तो नायब तहसीलदार को प्रस्तुत वसीयतों के लेखक व साक्ष्यों के कथन एवं प्रतिपरीक्षण कर जांच करने चाहिये थे और सहकारण आदेश पारित करने चाहिये थे, किन्तु नायब तहसीलदार द्वारा सहकारण एवं बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में

213

her
12-9-18

नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहाँ तक अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश का प्रश्न है तो अनुविभागीय अधिकारी ने भी वसियतनाम में से दोनों बहनों के नाम कम कर शेष वारिसों (भाईयों) के नाम नामांतरण के आदेश पारित करने में अनियमितता की है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

5/ अपर आयुक्त के आदेश का भी अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त ने यह मानते हुये कि अनावेदिका क्रमांक 1 की वसीयतनामा दिनांक 06-12-2007 बाद की वसीयत है को सिद्ध मानने में त्रुटि की है। क्योंकि भूमिस्वामी हल्के गोस्वामी की मृत्युअगले दिन 07-12-2007 को हो गई थी। अपर आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदिका रामकली की वसीयत रजिस्टर्ड थी और अनावेदिका उर्मिला द्वारा प्रस्तुत वसीयत में मृत्यु के एक दिन पूर्व की है, वह पंजीकृत नहीं है। यह तथ्य विचारनीय है कि भूमिस्वामी हल्के गोस्वामी दिनांक 05-12-2007 को अस्पताल में भर्ती हो गया था और उसकी मृत्यु दिनांक 07-12-2007 को हो गई थी। ऐसी स्थिति में दोनों वसीयत में वसीयत लेखक एवं साक्ष्य के कथन प्रतिपरीक्षण किया जाकर सर्वप्रथम वसीयत सिद्ध नहीं पाये जाने की स्थिति में वारिसों के नाम नामांतरण के आदेश दिये जाने चाहिये थे। अपर आयुक्त द्वारा भी इस महत्वपूर्ण बिन्दुओं में विचार न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में प्रस्तुत दोनों वसीयतों की जांच करें। तत्पश्चात सिद्ध वसीयत के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 में बने नियम के अनुरूप कार्यवाही करें और यदि वसीयत सिद्ध नहीं पाया जाता तो वारिसों के हित में नामांतरण स्वीकार करें।

(अ.र.के. जैन) 12.9.18

सदस्य,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर,